भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 896

(दिनांक 06.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

सीबीएफसी की बैठकें और वार्षिक रिपोर्ट

896. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चलचित्र (प्रमाणन) नियम 2024 के अंतर्गत फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बैठक तिमाही में एक बार होनी अनिवार्य है, जबकि पिछली बैठक छः वर्ष पहले अगस्त 2019 में हुई थी; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की वेबसाइट पर पिछली वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की है और नियमों के अनुसार, बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करके मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अपने बोर्ड के सदस्यों के साथ अपनी बैठकें ऑनलाइन आयोजित करता है। वर्ष 2017 से, फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को मुख्य रूप से ई-सिनेप्रमाण ऑनलाइन प्रमाणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आवेदनों का प्रस्तुतिकरण, प्रसंस्करण और अनुमोदन ऑनलाइन किया जाता है। प्रस्तुत की गई फिल्मों की संख्या के आधार पर समय पर प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षक और पुनरीक्षण समितियों की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं।

सीबीएफसी प्रत्येक वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस सूचना को मंत्रालय की समेकित वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, जिसे नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है और मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

*****